IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

प्रशासन अनुभाग

104–महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ–226001

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700 Bureau of Indian Standards SQMS

संख्याः 1348 /प्रशा0–एक–93/2013 दिनांक 04.07.2014

कार्यालय आदेश

वेतन समिति–2008 की संस्तुतियों के अनुरूप सचिवालय से इतर राजकीय विभागों के लिए लागू किये गये लिपिकीय ढ़ांचे को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के अधिष्ठान में लागू किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 18.03.11 की व्यवस्थाओं को परिषद के संकल्प संख्या–226/34 दिनांक 04.12.2013 द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के अधीन कार्यालय आदेश संख्या–3170/प्रशा0–एक–93/2013 दिनांक 09.12.2013 द्वारा अंगीकृत किया गया। तदुपरान्त शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–44/दस–54(एम)/2008 टी0सी0 दिनांक 17.01.2014 द्वारा वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–401/दस–54(एम)/2008 टी0सी0 दिनांक 18 मार्च 2011 की व्यवस्थाओं को संशोधित किये जाने के फलस्वरूप उक्त प्रकरण पुनः माननीय परिषद के निदेशक मण्डल की 227वीं बैठक दिनांक 20.02.2014 को मद संख्या–227/15 पर रखा गया। परिषद में लिपिकीय ढ़ांचा लागू किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 26.03.2014 को सुसंगत शासनादेशों एवं अभिलेख आदि का पुनः परिशीलन कराये जाने पर यह तथ्य दृष्टिगत हुआ कि शासनादेश दिनांक 22.12.2011 के प्रस्तर–2 में उल्लिखित वेतनमान रू0 4500–7000 परिषद में लागू नहीं है। इस वेतनमान अथवा इसके सादृष्य ग्रेड वेतन को लागू किये जाने से परिषद के वर्तमान में स्थापित लिपिकीय ढ़ांचे में विसंगति उत्पन्न होगी। अतः शासनादेश दिनांक 17.01.2014 के क्रमांक–3 पर उल्लिखित प्रधान सहायक के पद को इग्नोर करते हुए परिषद में लिपिकीय ढ़ांचा प्रतिस्थापित किया जाना समीचीन होगा।

2. अतः प्रमुख सचिव(आवास)/आवास आयुक्त द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति के अनुपालन में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के अधिष्ठान में लिपिक संवर्ग हेतु लागू लिपिकीय ढ़ॉचा, शासनादेश दिनांक 18.03.2011 से निम्नवत् संशोधित करते हुए लागू किये जाने के आदेश दिये जाते हैः–

क्र. स.	वर्तमान प्रभावी व्यवस्था		संशोधित/निर्धारित लिपिकीय ढ़ॉचा	
	पदनाम व अपुनरीक्षित वेतनमान (दिनांक 1.1.06 के पूर्व में लागू)	दिनांक 01.01.06 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन बैण्ड व सादृश्य ग्रेड वेतन	पदनाम	वेतन बैण्ड/ सादृश्य ग्रेड वेतन
1	सहायक श्रेणी–तृतीय, रू0 3050–75–3950–80–4590	रू0 5200–20200, सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 1900	कनिष्ठ सहायक	रू0 5200–20200, सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 2000
2	सहायक श्रेणी–द्वितीय, रू0 4000–100–6000	रू0 5200–20200, सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 2400	वरिष्ठ सहायक	रू0 5200–20200, सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 2800
3	सहायक श्रेणी–प्रथम, रू0 5000–150–8000	रू0 9300–34800, सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 4200	प्रशासनिक अधिकारी	रू0 9300–34800, सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 4600
4	अनुभाग अधिकारी, रू0 6375–175–9000	रू0 9300–34800, सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 4200	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	रू0 9300–34800, सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 4800
5	विशेष कार्याधिकारी, 8000–275–13500	रू0 15600–39100, सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 5400	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	रू015600–39100, सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 5400

3. परिषद के अधिष्ठान में लिपिकीय संवर्ग हेतु उपरोक्तानुसार संशोधित/निर्धारित ढ़ॉचा लागू हो जाने के परिणामस्वरूप वर्तमान में लिपिक संवर्ग की सेवानियमावली में तदनुसार आवश्यक संशोधन शीघ्र सम्पन्न करते हुए शासकीय गजट में प्रख्यापन के सम्बन्ध में अविलम्ब कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

........2/–

D:\AO Two- 2014\RTI Letter.doc

4. अस्तु परिषद में उपरोक्तानुसार संशोधित/निर्धारित ढ़ॉचा प्रभावी हो जाने पश्चात् सम्बन्धित पदधारको को वेतन बैण्ड/सादृश्य ग्रेड वेतन में वेतन का निर्धारण, तद्नुसार उनके नियंत्रक अधिकारियों द्वारा नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(रुद्र प्रताप सिंह)
अपर आवास आयुक्त एवं सचिव

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. वित्त नियंत्रक/मुख्य अभियन्ता/मुख्य वास्तुविद नियोजक/वास्तुविद नियेजक।
2. समस्त अपर आवास आयुक्त/संयुक्त आवास आयुक्त/संयुक्त निबन्धक।
3. समस्त उप आवास आयुक्त/सहायक आवास आयुक्त/सम्पत्ति प्रबन्धक।
4. समस्त निदेशक/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता/उप निदेशक।
5. वित्त अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारीगण।
6. समस्त अनुभाग अधिकारी/इन्चार्ज ।
7. मा0 अध्यक्ष/आवास आयुक्त/अपर आवास आयुक्त एवं सचिव के निजी सचिव।
8. कार्यालय आदेश पुस्तिका/मैसेज बोर्ड।

4/7/14
अपर आवास आयुक्त एवं सचिव

0121
9760415

D:\AG Two- 2014\RTI Lettar.doc